

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
पटना/रोहतास/मोतिहारी।

पटना, दिनांक 08-01-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में कुल ₹7,04,37,467/- (सात करोड़ चार लाख सैतीस हजार चार सौ सड़सठ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-20(7)ब दिनांक-14.06.18, 28(7)ब दिनांक-06.09.18, 29(7)ब दिनांक-10.09.18, 33(7)ब दिनांक-01.10.18, 56(7)ब दिनांक-5.11.18, 60(7)ब दिनांक-03.12.18 एवं 68(7)ब दिनांक-28.12.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में कुल ₹7,04,37,467/- (सात करोड़ चार लाख सैतीस हजार चार सौ सड़सठ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड - 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री-पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं सम्बंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Q

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे । सक्षम पदाधिकारी का मकान किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे ।
12. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या-1307 (21) दिनांक-19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/-) दस हजार रुपये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे ।
14. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय ।
15. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।
16. संविदा सेवाएँ (28-02) तथा व्यवसायिक / कला/ तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।
17. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
18. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 79(7)A

पटना, दिनांक : 08 -01 -19

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/ आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

9


विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोषाक	किसाया महशूल एवं कर	आहार/पथ्य	सविदा सेवाएँ	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-06)	(01-07)	8	(06-01)	(11-01)	(13-01)	(13-02)	(13-03)	(13-04)	(13-06)	(14-01)	(21-03)	(28-02)	(28-04)		
1	पटना	0	0	0	0	0	0	268527	17000	20000	0	10000	55000	50000	49940	1500000	5000000	5000000	11970467	8806/22.12.18
2	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1152000	0	1152000	3124/24.12.18
3	सोनिहरी	20000000	3000000	3200000	520000	400000	27120000	50000	10000	20000	25000	0	50000	40000	0	0	20000000	10000000	57315000	2717/18.12.18
	कुल	20000000	3000000	3200000	520000	400000	27120000	318527	27000	40000	25000	10000	105000	90000	49940	1500000	26152000	15000000	70437467	

(सात करोड़ चार लाख सैतीस हजार चार सौ सड़सठ) ₹० मात्र

79(7)0
08-01-19


सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपन कोड 20-2210031030001)

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	5999146000	5619140000	20000000	5639140000	360006000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	899872000	845806100	3000000	848806100	51065900
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	959863000	900279400	3200000	903479400	56383600
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	1930000	1871800	0	1871800	58200
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	152352000	147201428	520000	147721428	4630572
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	119982000	112307200	400000	112707200	7274800
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	8138145000	7626605928	27120000	7653725928	484419072
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	5000000	2771719	318527	3090246	1909754
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	6400000	3235800	27000	3262800	3137200
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	9200000	4250000	40000	4290000	4910000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	23000000	9460000	25000	9485000	13515000
12	दूरभाष (0001-13-03)	10000000	5734844	10000	5744844	4255156
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	40000000	39895000	105000	40000000	0
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	2000000	1726500	0	1726500	273500
15	वर्दी / पोषक (0001-13-06)	6390000	3740500	90000	3830500	2559500
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	7500000	7450060	49940	7500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	45000000	0	0	0	45000000
18	सामग्री एवं पूर्ति (0001-21-01)	66200000	36223000	0	36223000	29977000
19	दवा भंडार (0001-21-02)	660000000	487500000	0	487500000	172500000
20	आहार / पथ्य (0001-21-03)	100000000	54378000	1500000	55878000	44122000
21	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
22	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	10000000	0	0	0	10000000
23	सविदा सेवारत (0001-28-02)	1000000000	733870000	26152000	760022000	239978000
24	व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवारत (0001-28-04)	1500000000	1074412000	1500000	1089412000	410588000
25	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	30000000	20727000	0	20727000	9273000
	कुल योग:-	11658836000	10111980351	70437467	10182417818	1476418182

79(7)A
08-01-19

सरकार के विशेष सचिव

Qm/19